उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-19/2024/1300/94-स्टा0नि0-2-2024
लखनऊ: **दिनांक 18 अक्टूबर, 2024**

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रचालन के लिए जिला कुशीनगर के परिनिश्चित क्षेत्र में कुल 30.14 एकड़ भूमि के अन्तरण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य **स्टाम्प शुल्क** में छूट प्रदान करते हैं।

2- इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी प्राप्य होगी, यदि उक्त जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 19/2024/1300(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, दिनांक: **18 अक्टूबर, 2024**

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक **18 अक्टूबर, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shas

संख्या: 19/2024/1300(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, दिनांक: **18 अक्टूबर, 2024**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
6- मण्डलायुक्त, गोरखपुर द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
7- जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), कुशीनगर द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
8- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. **19/2024**/1300/94-S.R.-2-2024 dated **18 October, 2024**

Notification
Order

No. **19/2024**/1300/94-S.R.-2-2024
Lucknow; Dated: **18 October, 2024**

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, stamp duty chargeable on conveyance deed executed by the Civil Aviation Department of Government of Uttar Pradesh in favour of the Airport Authority of India, for transfer of total 30.14 acres of land in defined area of district Kushinagar for operation of the Kushinagar International Airport.

2- The remission under this notification shall be available if the District Magistrate of the said district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।